

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णिमा-प्रभारी-अररिया/बौका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/
पूर्णियाँ/पटना/सुपौल/सारण/सिवान।

पटना -15, दिनांक-

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष-2404-डैरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007960101, अन्तर्गत विषयशीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय में ₹ 3,46,560 /- (तीन लाख छियालीस हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)14/2013-2620, दिनांक-13.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल ₹ 2,59,98,000/- (दो करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार रुपये) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों/दुग्ध उत्पादकों/महिलाओं को गव्य व्यवसाय के आधुनिक तकनीक से संबंधित चलित गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2) उक्त राज्यादेश के तहत अनुसूचित जन जाति के लिये ₹ 59,99,000/- (उनसठ लाख निन्यानबे हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति राज्य के अंदर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत किया गया है।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में गव्य प्रक्षेत्र की विभिन्न विधाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 में संलग्न विवरणी के अनुसार विषयांकित बजट शीर्ष में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत CFMS में वर्तमान में उपलब्ध राशि के तहत ₹ 3,46,560 /- (तीन लाख छियालीस हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र निम्नवत राशि अतिरिक्त आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404007960101, विषयशीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404007960101, विषयशीर्ष 0101.20.03- प्रशिक्षण व्यय		
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	कुल योग
1	₹60,00,000/-	₹ 3,57,390 /-	₹ 3,46,560 /-	₹ 7,03,950 /-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 235 दिनांक 01-04-2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5) व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष-2404-डैरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007960101, अन्तर्गत विषयशीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय में बजट उपबंधित राशि से होगा।

6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।

7) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availibility of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8) विभागीय राज्यादेश सं० 1455 दिनांक 26.03.2025 के आलोक में 08(आठ) जिलों में स्वीकृत नये जिला गव्य विकास कार्यालय हेतु डी0डी0ओ0 कोड/ऑफिस कोड निर्गत होने के उपरांत संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन संबंधित नये जिला गव्य विकास कार्यालय को किया जायेगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक- यथोक्त।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/पूर्णिया-प्रभारी-अररिया/बोंका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/ कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/ पूर्णिया/पटना/सुपौल/सारण/सिवान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

23(आ0)

/ पटना -15, दिनांक-

19/09/2025

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक(आई0टी0), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (गव्य)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, माँग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007960101, विषयशीर्ष- 0101.20.03 - प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत ₹ 3,46,560/- (तीन लाख छियालीस हजार पांच सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन:-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु परिवहन/भाड़ा मद हेतु अतिरिक्त आवंटित राशि		कुल आवंटन (रु०)	
		पूर्व आवंटन (रु०)	वर्तमान आवंटन (रु०)	पूर्व आवंटन (रु०)	वर्तमान आवंटन (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	22275	21600	22275	21600
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रभारी-अररिया	22275	21600	22275	21600
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	59400	57600	59400	57600
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	15840	15360	15840	15360
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर	22275	21600	22275	21600
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	29700	28800	29700	28800
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	29700	28800	29700	28800
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	44550	43200	44550	43200
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	14850	14400	14850	14400
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	29700	28800	29700	28800
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	14850	14400	14850	14400
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	22275	21600	22275	21600
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, छपरा	14850	14400	14850	14400
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान	14850	14400	14850	14400
योग:-		357390	346560	357390	346560

(तीन लाख छियालीस हजार पांच सौ साठ रुपये) मात्र।

निदेशक (गव्य)